



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/०६/०९/२०१५/एफ.सी. /1413

दिनांक: 11.02.2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : जनपद बांरन में आर०आई०डी०एफ० योजना के तहत गरडा से जैसवा तक सड़क निर्माण हेतु 3.98 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ-प्रकरण ऑनलाइन आवेदन संख्या- FP/RJ/Road/6991/2014

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित आनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक-09फरवरी, 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बांरन में आर०आई०डी०एफ० योजना के तहत गरडा से जैसवा तक सड़क निर्माण हेतु 3.98 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 3.98 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये-5,14,017/- (3.98 हे० x Rs. 1,29,150 प्रति हे०) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये-24.9148 लाख (3.98 ha. x Rs. 6.26 Lakh per ha.) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

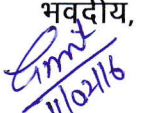
इसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर०टी०जी०एस०/एन०एफ०टी० (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की

अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
5. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, **Backword and Forword bearing** एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा **Median** पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

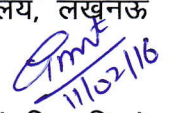
भवदीय,


(अमित मिश्रा)

९/८ उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालवा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान
4. उप वन संरक्षक, बांरन, राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, सामाजिक निर्माण विकास खण्ड, शाहाबाद, राजस्थान।
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।


(अमित मिश्रा)

९/८ उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)